दिनांक 06.06.2017 को श्री लाल प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक सूडा एवं अध्यक्ष उपसमिति की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के प्रस्तावों के परीक्षण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु सूडा के पत्रांक 1464/241/NULM/तीन/2001 (SMID) दिनांक 28.07.14 द्वारा गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 को श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा उ0प्र0 की अध्यक्षता में हुई जिसमें श्री इन्द्र पाल कनौजिया, परियोजना निदेशक, सदस्य संयोजक, उपसमिति, संजीव अग्रवाल सहायक परियोजना अधिकारी एवं मो0 तैयब राज्य मिशन प्रबन्धक (एस.एम.एण्ड आई.डी.) एवं सदस्य, उपसमिति द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. बैठक में सर्वप्रथम विगत उपसमिति की बैठक दिनांक 21.11.2015 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उक्त बैठक में 1.00 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों से प्राप्त प्रस्ताव एवं तत्क्रम मे परियोजना अधिकारियों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम मे 25 सी0एल0सी0 की स्वीकृति सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्गत कर दी गयी थी तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 मे किसी भी शहर से विशेष अनुरोध न प्राप्त होने के फलस्वरूप सी0एल0सी0 स्वीकृत नहीं की गई है।

2. बैठक में अद्यतन 51 शहरों हेतु स्वीकृत 64 शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि 12 शहरों यथा मुजफ्फरनगर, हापुड, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर, हरदोई बाराबंकी, कन्नौज एवं आगरा तथा मेरठ हेतु स्वीकृत एक–एक सी0एल0सी0 का शुभारम्भ अभी तक नहीं किया गया है। शेष शहरों की स्वीकृत शहरी आजीविका केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

3. संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों की प्रगति आख्या नियमित प्राप्त नहीं हो रही है तथा कतिपय सी0एल0सी0 को छोड़ कर अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति संतोषजनक प्रतीत नहीं हो रही है। सी0एल0सी0 की स्थापना एक नवीन अवधारणा आधारित आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर संचालित किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत इसके संचालन में समस्याएं आ रही है। संचालन में आ रही समस्याओं पर समिति में सम्यक विचारोपरान्त समिति के सभी सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वीकृत सी0एल0सी0 की अपेक्षित प्रगति हेतु सुचारू रूप से प्रचार प्रसार का न होना एक प्रमुख कारण है, जिसके फलस्वरूप समिति द्वारा बेहतर प्रचार–प्रसार हेतु शहरों को निर्देशित किये जाने की संस्तुति किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त बैठक में एस0यू0एल0एम0 स्तर पर उपलब्ध उल्लिखित प्रस्तावों का उपसमिति द्वारा स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए पूर्व बैठक मे लिए गये निर्णयानुसार जनगणना 2011 के अनुसार 1.00 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों मे ही फिलहाल सी0एल0सी0 की स्वीकृत हेतु संस्तुति किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही शहरों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में बड़े शहरों के अनुरोध के क्रम मे मेरठ, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद मे अतिरिक्त 1–1 शहरी आजीविका केन्द्र एवं हाथरस मे 1 नयी सी0एल0सी0 की तत्काल स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत 100

दिवसों हेतु प्रस्तावित लक्ष्यों के सापेक्ष की जाये। उक्त 05 सी0एल0सी0 के स्वीकृति की संस्तुति इस शर्त पर की जाए कि उक्त का आत्म निर्भरता के सिद्धान्त पर संचालन कर सी0एल0सी0 को स्थाई आत्म निर्भर बनाने का उत्तरदायित्व प्रस्तावक अधिकारियों का होगा। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त शर्त लगाने की संस्तुति विगत में स्वीकृत सी0एल0सी0 की अपेक्षित प्रगति न आने के फलस्वरूप की जा रही है। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दिवसों मे स्वीकृत की जाने वाली सी0एल0सी0 मे भी उक्त शर्त का प्राविधान किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना एवं संचालन में एन0जी0ओ0 के माध्यम से कराये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

   1) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था का चयन नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर केवल शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन हेतु योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाये।

   2) पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था से शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अनुबन्ध करने के उपरान्त ही एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था को सी0एल0सी0 संचालन का कार्य दिया जाये।

   3) पारदर्शी प्रक्रिया से एन0जी0ओ0 के चयन हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–602/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC दिनांक 22.08.2016 के द्वारा जारी मॉडल विज्ञापन प्रारूप एवं मेमोरेण्डम आफ एग्रीमेन्ट के दिशा निर्देशों के द्वारा करायी जाये।

   4) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था से सी0एल0सी0 संचालन हेतु निर्धारित समयावधि हेतु सिक्योरिटी मनी के रूप में रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी जमा करायी जाये।

   5) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था को सी0एल0सी0 के आत्मनिर्भर होने तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जायेगा। सी0एल0सी0 के आत्मनिर्भर होने के उपरान्त सी0एल0सी0 के सभी खर्चे पूर्ण किये जाने के बाद बचत राशि का 10 से 15 प्रतिशत धनराशि कारपस के रूप में सी0एल0सी0 के खाते में रखी जायेगी उसके उपरान्त अर्जित लाभ का कुछ अंश संस्था को प्रॉफिट के रूप में शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के आपसी सहमति के आधार पर देने का निर्णय लिया जा सकता है। इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा।

   6) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के माध्यम से सी0एल0सी0 संचालित कराये जाने की दशा में भी सी0एल0सी0 का पूर्ण स्वामित्व शहर मिशन प्रबन्धन इकाई का ही होगा। सी0एल0सी0 की स्थापना के समय ली/दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं उपकरण तथा सी0एल0सी0 संचालन के मध्य में कभी भी क्रय की गयी समग्री एवं उपकरण का स्वामित्व शहर मिशन प्रबन्धन इकाई का होगा। सी0एल0सी0 की समस्त सामग्री एवं उपकरण की सुरक्षा का पूर्ण उत्तर दायित्व संचालक संस्था का होगा।

   7) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के माध्यम से सी0एल0सी0 संचालन कराये जाने की दशा में किये जाने वाले अनुबन्ध में संचालक संस्था एवं शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के उत्तर दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आय एवं व्यय के स्पष्ट आधारों के

साथ सी0एल0सी0 के आत्म निर्भर होने के उपरान्त आपसी सहमति से संचालक संस्था को दी जाने वाली धनराशि का भी उल्लेख अनुबन्ध में नियमानुसार किया जायेगा।

8) शहरी आजीविका केन्द्र के पंजीकरण के सम्बन्ध मे कार्यालय के पत्र सं0–631/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-II दिनांक 02.09.2016 के द्वारा मॉडल स्मृति–पत्र एवं नियमावली तैयार कर उक्त माडल के अनुरूप शहरों की स्थानीय आवश्यकता के क्रम मे परीक्षण कराते हुए यथा आवश्यक संशोधनोपरान्त तत्काल सी0एल0सी0 का पंजीकरण नियमानुसार किया जायेगा।

6. निकायों/जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव के नवीन अवधारणा पर आधारित होने के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्तावों के बिजनेस प्लान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित नही पाये जा रहे हैं अपितु प्रस्ताव मूल अवधारणा पर आधारित प्राप्त हो रहे हैं के सम्बन्ध में चर्चा में निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्तावों के बिजनेस प्लान पूर्ण रूप से आत्म निर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित न होने पर संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक सूडा/अध्यक्ष, उपसमिति

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 416 /241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC दिनांक– 3/7/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. वैक्तिक सहायक, निदेशक कैम्प सूडा को निदेशक/मिशन निदेशक के अवलोकनार्थ।
2. अपर मिशन निदेशक/अपर निदेशक, सूडा उ0प्र0।
3. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी/सहा0 वेब मास्टर सूडा को वेबसाइड पर अपलोड़ हेतु।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक सूडा/अध्यक्ष, उपसमिति